अध्याय 4

भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारत में सम्मिलन हेतु मान्यता

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 मई 2008 को सूचना दी कि भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानकों (आईएफआरएस) से मिलाने लेखांकन मानकों की 2006 में अधिसूचना से लागू आईएफआरएस के साथ 2011 तक सम्मिलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई पहल जारी रहेगी। आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखा मानकों के परिवर्तन के लिए एमसीए द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक सड़क मानचित्र अभी लागू किया जाना है और संशोधित सड़क मानचित्र एमसीए के विचाराधीन था।

4.2 भारत में सम्मिलन प्रक्रिया

4.2.1 प्रशासनिक मंत्रालय

भारत में, आईएफआरएस के साथ सम्मिलन की प्रक्रिया एमसीए द्वारा सभी संबद्ध हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श तथा प्रतिभागिता अभ्यासों के माध्यम से की गई है।

4.2.2 रोड़ मैप

जुलाई 2009 में एमसीए के सचिव की अध्यक्षता में सम्मिलन के लिए रोड़ मैप तैयार करने के नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण, पैन्शन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण) वित्त मंत्रालय, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान (आईसीएआई), चैम्बर्स एवं औद्योगिक निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों को मिला कर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप के सहातार्थ दो उप वर्ग थे। कोर ग्रुप ने चरणों में सम्मिलन लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के लागू करने के लिए विभिन्न नियामकों और रोड़ मैप द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को सूचित किया था। मार्च 2010 में एमसीए द्वारा घोषित रोड़ मैप के अनुसार, 1 अप्रैल 2011 के वित्तीय वर्ष से प्रारंभिक चरणों में कम्पनियों की विशिष्ट श्रेणी के लिए इन्ड-एस लागू किये जाने थे। इन्ड-एएस तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणियों के लिए लागू किये जाने होगें।

4.2.3 इन्ड-एएस को अधिसूचित करना

विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात् कम के कम 35 परिवर्तित सम्मिलन लेखांकन मानक (इन्ड-एस के रूप में जाने जाते हैं) एमसीए द्वारा फरवरी 2011 में अपनी बेबसाइट पर दर्शाये जा चुके हैं। फिर भी,इन्ड-एएस को लागू करने की तिथि अधिसूचित की जानी थी। इन्ड-एएस,आईसीएआई द्वारा मसौदा तैयार करने, लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा अनुमोदन,एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, मंत्री द्वारा अनुमोदन, एमसीए तथा विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।

4.2.4 कारपोरेट विधि में परिवर्तन

फरवरी 2011 में, एमसीए ने कंपनी अधिनियम 1956, की संशोधित अनुसूची VI में अधिसूचित संशोधन जिसकी आवश्यकता इंड-एएस को लागू करने हेतु हो सकती थी उदारणतः परिसम्पत्तियों और देयताओं के समूह "चालू" और "गैर-चालू" के रूप में बनाये गये है समाविष्ट थे कि इन्ड-एएस यानि परिसम्पत्तियों का समूह और देयताओं को "चालू" और "गैर -चालू" के रूप किया जाना अपेक्षित था।

एक नया कम्पनी बिल दिसम्बर 2012 में लोकसभा में पास किया गया परन्तु यह अभी राज्य सभा में पास होना बाकी है।

बिल में उल्लेख किया जाता है कि वितीय विवरणों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाएगा और कम्पनियों के वर्ग अथवा वर्गों के लिए मुहैया कराए गए फार्म अथवा फार्मों में होंगे। यह चरणों में इन्ड-एएस के कार्यान्वयन को सरल बनाएगा।

परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्यांकन आईएफआरएस के महत्वपूर्ण पहलू हैं, कम्पनी बिल में पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के लिए संबद्ध खण्ड मूल्यांकन के उत्तरदायित्व के रूप में भी सम्मिलित है।

4.2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एमसीए ने 26 जुलाई 2010 को जापान के साथ आईएफआरएस से सम्मिलन के संबंधित जानकारी प्रभावी रूप से बांटने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है। एमओयू के अनुसार दोनों देश 2010 से तीन वर्षों हेतु वार्षिक इंडिया जापान आईएफआरएस संवाद को रखने में आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए। एमओयू के अधीन पांच संयुक्त कार्यकारी ग्रुप स्थापित किये गये थेः आईएफआर से संबंधित मामले संबंधित करने के लिए अपनी जानकारी एवं अनुभव को दोनों देशों के नियामक, लेखांकन मानक सैटर्स, सनदी/प्रमाणित लेखा संस्थान, औद्योगिक प्रतिनिधियों और शेयर बाजर को सांझा करने के लिए।

4.3 इन्डएएस को लागू करने की स्थिति

4.3.1 रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस कार्यान्वित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमसीए इसके कार्यान्वयन पर आम सहमति के अभाव के आधार पर मुख्य रूप से इसके अधिसूचित रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की तिथि अधिसूचित नहीं कर सका। अन्य कई विनियामक मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए था जैसे बैंकों, बीमा तथा विद्युत वितरण कम्पनियों जैसी नियामक इकाईयों द्वारा अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण।

4.3.2 आईएफआरएस में संशोधन

कई आईएफआरएस में संशोधन चल रहा था तथा कुछ नये आईएफआरएस प्रक्रिया अधीन थे। इसमें नये इन्ड-एएस की अधिसूचना की तरह अधिसूचित इन्ड-एएस में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है।

4.3.3 आईएफआरएस से विभिन्नताएं

अभी तक अधिसूचित इन्ड-एएस में आईएफआरएस से कुछ विभिन्नताएं थी। ये विभिन्नताएं उन अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों/शेयर धारकों के बीच चिंता का विषय थी जो विभिन्नताओं से संतुष्ट नहीं थे। नये विचलनों के प्रभाव का सम्मिलन के लाभों को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

4.3.4 उचित बाजार मूल्यांकन

पूर्ण सटीकता के साथ देयताओं ओर विभिन्न परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के सत्यापन और सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय तंत्र और बुनियादी ढांचा विद्यमान है सुनिश्चित करना आवश्यक है। परिवर्तन, अन्यथा, वित्तीय विवरण में वस्तुनिष्ठता और आस्थिरता ला सकता है।

4.3.5 अनिश्चिता के दौरान प्रारंभिक प्रयास

पर्याप्त बुनियादीढांचा, पेशेवर दक्षता प्राप्त और आईटी एप्लीकेशन के संबंध में विनिमय के प्रति सरल पारगमन के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में, पणधारियों को लागू करने की तिथि सपष्ट नहीं है। पणधारी रोड़ मैप संशोधन होने तथा उचित निश्चितता सहित अधिसूचित होने तक अपने प्रारंभिक प्रयास करने में देरी कर सकते हैं।